पुर्जों, उच्च अश्वशक्ति वाले बिजली रेल इंजनों, पहियों एवं धुरों, रेल इंजनों के पुर्जों तथा अन्य छोटी-मोटी मदों की खरीद के लिए सहायता प्राप्त है।

डी० पु० का०/पटियाला पर लगभग 133 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान लगाया गया है और यह कार्य सातवीं योजना में पूरा हो जाने की संभावना है।

(iii) मई, 1984 में तय किया गया 280 मिलियन डालर का ऋण:

इस ऋण के अन्तर्गत 3044 मार्ग कि० मी० विद्युतीकरण तथा 6 कारखानों और सवारी डिब्बा कारखाने के आधुनिकीकरण के लिए सहायता प्राप्त है।

विश्व बैंक ने जिन खंडों के विद्युतीकरण के लिए ऋण दिया है, उन पर लगभग 680 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान लगाया गया है। 6 कारखानों तथा सवारी डिब्बा कारखाने के आधुनिकीकरण पर लगभग 162 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान लगाया गया है। कारखानों के आधुनिकीकरण का काम सातवीं योजना में पूरा हो जाने की सम्भावना है। विद्युतीकरण के लिए लक्ष्य तिथियां निर्धारित नहीं की गयी हैं।

(ग) और (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

बसों तथा ट्रकों के परमिटों का जारी किया जाना

2541. श्री हुक्मदेव नारायण यादव : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार ने प्रत्येक राज्य को बसों और ट्रकों के कितने अन्तर्राज्यीय परमिट जारी किए और ;

(ख) क्या यह सच है कि इन परमिटों के आवंटन में घपला करने के लिए अनेक अधिकारियों के विरुद्ध जांच कराई गई थी, यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जैड० आर० अंसारी) : (क) केन्द्रीय सरकार, समय समय पर धारा 63(11) के तहत पब्लिक कैरियरों के लिए राष्ट्रीय परमिटों और धारा 63(7) के तहत यात्री वाहनों के लिए अखिल भारतीय पर्यटक परमिटों की संख्या निर्दिष्ट करती है। हर वर्ष आवंटन नहीं किया जाता है। केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए आवंटन और राज्य सरकारों द्वारा इन श्रेणियों के परमिटों के अब तक किए गए आवंटन का विवरण संलग्न है।

(ख) राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों से सूचना एकत्र की की जा रही है ?

विवरण

31 जुलाई, 1985 को केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 63 (11) के तहत पब्लिक कैरियरों के लिए राज्य सरकारों को अब तक आवंटित किए गए राष्ट्रीय परमिट धारा 63 (7) के तहत यात्री वाहनों के लिए अखिल भारतीय पर्यटक परमिट

क्र०सं०	राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	आवंटित राष्ट्रीय परमिटों की कुल संख्या	जारी राष्ट्रीय परमिटों की कुल संख्या	ओम्नी बसों के लिए आवंटित अखिल भारतीय पयटक परमिटों की कुल संख्या	ओम्नी बसों के जारी अखिल भारतीय पर्यटक परमिटों की कुल संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश . .	1650	1350	50	50+2+

1	2	3	4	5	6
2.	आसाम	1650	900	50	50† 2‡
3.	बिहार	1650	1237	50	48
4.	गुजरात	1650	1072	50	46
5.	हरियाणा	1500	1055	50	13
6.	हिमाचल प्रदेश	1200	585	50	34
7.	जम्मू और कश्मीर	1200	785	50	48
8.	कर्णाटक	1500	1463	50	50
9.	केरल	1500	1257	50	50
10.	मध्य प्रदेश	1650	1160	50	51††
11	महाराष्ट्र	1650	900	50	50
12.	मणिपुर	450	150	50	50
13.	नागालैंड	450	245	50	50
14.	मेघालय	450	149	50	50
15.	उड़ीसा	1500	1033	50	25
16.	पंजाब	1500	800	50	44
17.	राजस्थान	1500	1199	50	50
18.	सिक्किम	150	—	—	—
19	तमिल नाडु	1500	1192	50	51
20.	त्रिपुरा	900	415	50	33
21.	उत्तर प्रदेश	1650	891	50	26
22.	पश्चिमी बंगाल	1650	1306	50	48
23.	अरूणाचल प्रदेश	250	139	25	23
24.	चंडीगढ़	250	149	25	25
25.	दादर और नागर हवेली	250	85	25	25
26.	दिल्ली	1500	721	50	50
27.	मिजोरम	250	—	25	—
28.	गोवा, दमन और दीव	850	471	25	25
29.	पांडिचेरी	250	150	25	25

†उच्च न्यायालय के निर्देश पर 15 पक्का परमिट और 11 टी० पी० अधिक जारी किए गए ।

‡उच्च न्यायालय और राज्य परिवहन अपील अभिकरण के आदेशों के अनुसार 2 परमिट अधिक जारी किए गए ।

††आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार एक परमिट अधिक जारी किया गया ।